SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अध्ययन

मंतोष प्रसाद, बी.एड. विभाग
रामकृष्ण विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह, झारखंड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
मंतोष प्रसाद
E-mail : mantoshprasad.81078@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 01/10/2025
Revised on : 03/12/2025
Accepted on : 12/12/2025
Overall Similarity : 00% on 04/12/2025

शोध सार

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए 86वाँ संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21(क) जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके अंतर्गत देश के सभी राज्यों को यह कर्त्तव्य सौपा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजुरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। सन् 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। इस प्रकार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करना था जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा अशिक्षा का उन्मूलन हो सके।

मुख्य शब्द

शिक्षा का अधिकार, शिक्षा, अधिनियम.

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन का आधार है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। जन्म के समय बालक पशुवत आचरण करता है, उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है, शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों का उचित मार्गदर्शन करके उसे परिपक्वता प्रदान करती है, उसके व्यवहार

को, उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा वह केवल अपने वातावरण से अनुकूल करने में ही समर्थ नहीं होता वह वातावरण और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भी प्रत्यन करता है। शिक्षा ही मानव की असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्देशित करती है। शिक्षा ही मानव में उदारता, उच्चता, उत्कृष्ट और पवित्रता लाती है। शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊंचे शिखर पर पहुंच पाया है। शिक्षा एक प्यास है जिसका संबंध केवल जीने की कला मात्र से नहीं है, अपितु व स्वयं जीवन के आदर्शों से जुड़ी हुई है। न केवल व्यक्ति के संदर्भ में यह उपयोगी है, आवश्यक है, बल्कि राष्ट्र और समाज की उन्नति और विकास भी शिक्षा पर ही आधारित है। शिक्षा सामाजिक चेतना को जाग्रत करती है, सामाजिक धरोहर की रक्षा करती है, आगामी पीढ़ी को उसका हस्तांतरण करती है और उसका विकास करती है। शिक्षा ही वैयक्तिकता को केंचुली से बाहर लाकर मानव को इस योग्य बनाती है कि वह समाज, राष्ट्र और संपूर्ण संसार के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपना सके और कर्तव्यों को निर्वहन भली प्रकार से कर सकें।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार प्राजातान्त्रिक शासन–व्यवस्था की देन है। प्रजातंत्र को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी नागरिक कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करें जिससे वे राजनैतिक क्षेत्रों में प्रबुद्ध नागरिकों के रूप में विचार कर सकें। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नारा सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिमी देशों में दिया गया। स्वीडन ने सबसे पहले सन् 1842 में अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था की। इसके उपरांत सन् 1852 में अमेरिका, सन् 1860 में नॉर्वे, सन् 1870 में इंग्लैंड तथा सन् 1905 में हंगरी, पुर्तगाल स्विट्जरलैंड आदि ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, विदेशी शासन् के कारण यह कार्य भारत में काफी समय तक नहीं हो पाया। यद्यपि कुछ भारतीय व विदेशी शिक्षा वेदों ने इस दिशा में प्रयास किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। सन् 1882 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) के सामने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने की मांग रखी थी। यद्यपि उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया परंतु इस मांग ने भारतीयों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रथम आंशिक रूप से सफल प्रयास सर इब्राहिम रहीमतुल्लाह व कर चिमनलाल सीतलवाड़ का रहा। इन दोनों के प्रयासों के फल स्वरुप बम्बई सरकार ने सन् 1906 में बम्बई में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की संभावना पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया परंतु दुर्भाग्यवश इस समिति का निर्णय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने के पक्ष में नहीं था।

शिक्षा का अधिकार

विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं जिसे अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को एक वास्तविकता बन गया है। सन् 2002 में संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन् 2009 में निःशुल्क एवं

अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम, 2009 में पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21क जोड़ कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। राज्य को यह कर्तव्य सौपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। कानून के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं जिसमें शिक्षकों को नियुक्ति देने संबंधी प्रशिक्षण, आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास, निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएँ

- 6–14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
- 6–14 वर्ष तक के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी 4.6 प्रतिशत अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड रुपए की 5 वर्षों में जरूरत होगी जिसमें 25000 करोड रुपए वित्त आयोग राज्यों को देगा।
- 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालयों की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- स्थानीय निकाय ही बालकों के चिह्नांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जायेगे। इसमें प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिह्यांकन करने पर मदद मिलेगी।
- निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 25 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे और उनमें वही शुल्क लिया जायेगा जो सरकारी विद्यालयों के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है।
- इन बच्चों न स्कूल फीस देनी होगी ना ही यूनिफॉर्म, पुस्तकों, ट्रांसपोर्टेशन या मिड डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा। कोई स्कूल बच्चों का प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी।
- सभी राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाये।
- जिन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें 3 वर्ष के अंदर दुरुस्त करना होगा वरना मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर उठायेगी।
- इस वर्ग के किसी भी बालक को आयु–प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।
- शिक्षा में परिमाणत्मक वृद्धि के साथ–साथ बालकों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में अग्रलिखित प्रयास किए जायेगे।

- योग्यता धारी शिक्षकों की भर्त्ती।
- विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास।
- प्रभावी पाठ्यसामग्री का विकास।
- शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था।
- प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस अधिनियम में छात्र– शिक्षक अनुपात 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए 12 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी।
- केंद्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड निर्धारित किए जायेगे, उसी के द्वारा तकनीक सहयोग व संसाधन राज्य सरकारों का उपलब्ध कराये जा सकेगे ताकि शैक्षणिक शोध, नवाचार व क्षमताओं के विर्निमाण व विकास को प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोन्नत किया जा सके।
- विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक के शारीरिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
- विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।
- शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने, उसको पूर्ण करने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसमें वे निम्न बातों का ध्यान रखेंगेः

- संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुरूपता।
- बालक का सर्वांगीण विकास।
- ज्ञान अंतःशक्ति योग्यता का निर्माण।
- शारीरिक एवं मानसिक विकास।
- शिक्षा का माध्यम।
- इस अधिनियम का वित्तिय बोझ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच 55:45 का अनुपात में साझा किया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रमुख चुनौतियाँ

- शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ परंतु इसे पूर्ण रूप से गति प्रदान करने के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है।
- इस अधिनियम को लागू करने के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता है इन खर्चों का बाँटवारा राज्य व केंद्र सरकारों के बीच किया गया है। इन खर्चों में 55 प्रतिशत केंद्र तथा 45 प्रतिशत राज्य सरकार के पक्ष में आया है जिसमें केंद्र सरकार ने 25000 करोड रुपए का प्रावधान किया था कि अगले 5 वर्षों में 171000 करोड रुपए तक के खर्च का अनुमान लगाया गया है।
- केंद्र ने शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करने के लिए एक शैक्षिक ढाँचे का निर्माण किया है। इस शैक्षिक

ढाँचे के आधार पर ही प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र दिशा–निर्देश तैयार करेंगे। इसमे काफी समय लग जायेगा।

- शिक्षा का अधिकार के लिए पहले देश भर में प्राथमिक शिक्षा में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। कानून ने बच्चों को अपने घर से 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल देने का प्रावधान है। यदि स्कूल इसमें दूर होगा तो बच्चों को लाने व ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- नये स्कूल खोलने से पहले राज्य सरकार को स्थानीय निकायों की सहायता से यह पता लगाना होगा कि 6–14 वर्ष के कितने बच्चों हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उनकी एक सूची तैयार करना और यह पता लगाना कि वे किस वर्ग के हैं। यदि वे पिछड़ी जाति के है तो उनकी एक अलग सूची तैयार करना, इस काम में बहुत अधिक समय लगेगा।
- शिक्षा का अधिकार को लागू करने के लिए बड़े स्तर पर प्राथमिक शिक्षाकों की भर्ती होगी। अभी देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से चल रही है।
- निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारें सरकारी स्कूल से तुलना कर इन बच्चों को खर्च देगी परंतु इसमें भी विवाद है क्योंकि कुछ स्कूलों का कहना है कि वे ज्यादा सुविधायें देते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाय।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सिद्धांत

भारत देश ने 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्ष शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।

यह कानून प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर और अधिकार देता है। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक बच्चों को उसके विकास क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल न हो तो बच्चों को स्कूल आने के लिए छात्रावास य वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, इसके साथ ही बच्चे या उसके माता–पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा।
- विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते है।
- किसी भी बच्चे को किसी भी लक्ष्य में (फेल करके) नहीं रोका जायेगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जायेगा।
- स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए अलग कमरा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- कोई शिक्षक/शिक्षिका निजी शिक्षण नहीं चलायेगा/चलायेगी।
- स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी।
- किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा।
- इस अधिनियम के तहत, शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर, पंचायत कलस्टर स्तर संसाधन केंद्र (सी. आर.सी.) तहसील पंचायत जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है।

संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मौलिक अधिकार

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है से अधिकार नागरिको की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। शिक्षा जो संवैधानिक

अधिकार था शुरू में अब तक मौलिक अधिकार दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ कि भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी। 2002 के संविधान 86 वें संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा अनुच्छेद 21 ए को सम्मिलित होना जिसमें कहा गया है राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

सरकार ने अंतत सभी विसंगतियों को दूर करते हुए 1 अप्रैल 2010 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अब पूरे देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान

- अनिवार्य शिक्षा– सरकार का दायित्व।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- सरकार स्थानीय – प्राधिकारी व माता–पिता का कर्त्तव्य ।
- विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व।
- केन्द्र व राज्य सरकार दोंनो की सहभागिता स्थापित करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपादेयता

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी निजी स्कूलों को स्कूल का निरिक्षण करके व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मान्यता लेनी है जिसमें गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- शिक्षा सत्र 2011–12 प्रारम्भ होने से पहले सभी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंध समितियों के गठन हो जाने से इनमें 50 प्रतिशत अभिभावक व बाकी शिक्षक व जनप्रतिनिधियों के शामिल होने से शिक्षा का स्तर बढेगा।
- शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों में रटने की बजाए सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 है।
- सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षकों की ड्यूटी पढाई को छोडकर चुनाव व जनगणना जैसे कार्यों में न लगाई जाय।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने सत्र 2011–12 से प्रतिभा पर्व योजना प्रारम्भ की है जिसमें निर्धारित दक्षताएं (90) प्राप्त करके पर 500 एवं 80 दक्षता हासिल करने ढाई हजार रूपये व राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति

- विद्यालय के क्रिया–कलापों का निरीक्षण करना।
- विद्यालयों में आस–पास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुसरण करना।
- विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुसरण करना।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना।
- विद्यालयों के कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा

वार्षिक सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में प्रस्ताव आया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाय जो संविधान धारा 45 में संवैधानिक प्रवधान था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। संविधान लागू होने के 10 वर्षो तक लेकिन आज भी देश में सभी साक्षर नही हो पाये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। देश के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक हो। इस कानून में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत सिर्फ 25 फीसदी सीटो पर ही समाज के कमजोर वर्गो के बच्चों का दाखिला मिलेगा। यानि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो शिक्षा के अवसर में समानता हो जाय लेकिन आज भी पूरा न हो सका। इस विधेयक में 6 से 14 वर्ष के बच्चो संतुलित भोजन स्वास्थ और प्राथमिक शिक्षा को जो अधिकार दिया गया है। जो पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सका। इस कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। निःशुल्क शिक्षा को केवल फीस तक परिभाषित नही किया जा सकता है। इसमें शिक्षण सामग्री से लेकर सम्पूर्ण शिक्षा व्यय है या नही देखना होगा। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। 1 कि0मी0 से दूर विद्यालय नहीं होने चाहिए। हर तीन वर्ष में विद्यालय की मरम्मत करवाना राज्य सरकार का कर्त्तव्य बनता है। साथ–साथ नजदीकी विद्यालय होने से बच्चों की संख्या में बढोतरी होगी और कोई भी शिक्षा से वंचित नही हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. प्रकाश, जय (1991) *समकालीन भारत एवं शिक्षा,* आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
2. पाठक, पी.डी. (2017) *समसामिक भारतीय शिक्षा,* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
3. गुप्ता, एस. पी. (2009) *भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
4. मदान, पूनम (2008) *समसामयिक भारत और शिक्षा,* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
5. त्यागी, गुसरन दास (2008) *समसामयिक भारत और शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन,* आगरा।
6. पाठक, पी.डी. (2014) *आधुनिक भारत एवं शिक्षा,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
7. त्यागी, गुसरन दास (2014) *आधुनिक भारत एवं शिक्षा,* विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

****